न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 63 /2011

1. रक्षपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति सैनीसिख निवासी अबोहर पंजाब हाल निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।

--वादी--

बनाम

1. रशमेल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति सैनी निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति सैनी निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।
3. महेन्द्र सिह पुत्र हरबंस सिह जाति सैनी निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
4. जसपाल सिह पुत्र सरवन सिह जाति सैनी निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर
5. सतनाम सिह पुत्र सरवन सिह जाति सैनी निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर
7. श्रीमति हरदेव कौर पत्नि जगदीश सिंह जाति सैनी निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए

--निर्णय-- दिनांक : 28/2/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2019 की पालना मे तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्रांक 387 दिनांक 25.02.2019 से विभाजन प्रस्ताव मय फर्द मौका तथा नक्शा प्रस्तुत किया गया। दोनो पक्षो के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई एवं निवेदन किया कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर दी जावे तो हमे कोई ऐतराज नही है। दोनो पक्षो के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक 11 एफएफ बी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 37 के मु0 न0 2 मे 6.325 है0 नहरी मे महेन्द्र सिंह पुत्र हरबन्श सिंह 4.301 है0, जसपाल सिंह, सतनाम सिंह पिसरान सरवन सिंह 0.886 है0, रशमेल सिंह, रक्षपाल सिंह, हजारा सिंह पिसरान जगदीश बहिस्सा बराबर 1.138 है0 जाति सैनी खातेदारी हैसियत से दर्ज है। रशमेल सिंह आदि की 1.138 है0 भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है-

1. **रक्षपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्साः-**

चक 11 एफएफ बी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 37 के मु0 न0 2 का किला न0 11/1 मे 0.127 है0, किला न0 20/1 मे 0.212 है0 कुल 0.339 है0 नहरी।

2. **रशमेल सिंह पुत्र जगदीश का हिस्साः-**

चक 11 एफएफ बी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 37 के मु0 न0 2 का किला न0 18/1 मे 0.077 है0, किला न0 19/1 मे 0.228 है0, किला न0 20/2 मे 0.037 है0 कुल 0.342 है0 नहरी।

3. **हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्साः-**

चक 11 एफएफ बी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 37 के मु0 न0 2 का किला न0 18/1 मे 0.150 है0, किला न0 24/1 मे 0.101 है0, किला न0 25/1 मे 0.089 है0 कुल 0.340 है0 नहरी।

4. **रक्षपाल, रशमेल सिंह, हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्साः-**

चक 11 एफएफ बी की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 37 के मु0 न0 2 का किला न0 18/3 मे 0.026 है0, किला न0 19/2 मे 0.026 है0, किला न0 20/2 मे 0.004 है0, किला न0 24/1 मे 0.025 है0, किला न0 25/2 मे 0.036 है0 कुल 0.117 है0 नहरी।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु भिजवाई जावे। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी की गई। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो। शेष खातों के अंकन बदस्तूर रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28/2/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner